डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
**Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow**
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1— प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4— निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, 5 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
6— सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, 17/9 विन्डसर पैलेस, योजना भवन के पीछे, लखनऊ।
7— डॉ0 उदयभान यादव, पूर्व विभागाध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
8— प्रो0 राजनाथ, विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
9— डॉ0 गनपत सिंह कश्यप, निवासी—टीचर्स कालोनी, धामपुर, बिजनौर।
10— प्रो0 रवि शंकर सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
11— प्रो0 शेफाली यादव, आचार्य, विधि, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12— प्रो0 नागेन्द्र यादव, आचार्य, प्रबन्धशास्त्र, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 1140 /फा0सं0—36(सप्तम्)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./कार्य परिषद/2024—25 दिनाँकः 12 सितम्बर, 2024

**विषयः—** **डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 46वीं बैठक दिनांकः 12 सितम्बर, 2024 को आयोजित बैठक के सम्बन्ध में।**

महोदया/महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 46वीं बैठक दिनाँक 12 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

**संलग्न— यथोपरि।**

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः— वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

# डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
# की मा0 कार्य परिषद की 46वीं बैठक
# दिनाँकः 12 सितम्बर, 2024 का कार्यवृत्त

समय– सांय 04:30 बजे

स्थान– पंचम तल स्थित सभागार,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 46वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

| बिन्दु सं0 | कार्यवाही |
|---|---|
| 1/46 | **मा0 कार्य परिषद की 45वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः**– विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांकः 20 दिसम्बर, 2023 का द्वारा मा0 कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों को प्रेषित किया गया। उक्त प्रेषित किए गए कार्यवृत्त के सम्बन्ध में किसी मा0 सदस्य से किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। |
| 2/46 | **मा0 कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** |
| | **निर्णयः**– आहूत बैठक में मा0 कार्य परिषद् की 45वीं बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया गया। |
| 3/46 | **विश्वविद्यालय के पूर्व में प्रचलित कुलगीत के संगीत (कम्पोजिशन) में किये जाने वाले परिवर्तन पर विचार।** |
| | मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के पूर्व प्रचलित कुलगीत के संगीत (कम्पोजिशन) में किये जाने वाले परिवर्तन हेतु मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तत्क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रचलित कुलगीत में भारतीय संगीत शास्त्रीयता के तत्वों को समाहित करते हुए नये कम्पोजिशन की रचना करते हुए तद्नुरूप प्रतिस्थापित किया गया है। आहूत बैठक में उपस्थित समस्त मा0 सदस्यों को प्रचलित कुलगीत में भारतीय संगीत शास्त्रीयता के तत्वों को समाहित करते हुए नये कम्पोजिशन के रूप में सुनाया गया।<br>**निर्णयः मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्व प्रचलित कुलगीत में शास्त्रीयता के राग को समाहित करते हुए नये धुन के कुलगीत को अंगीकृत किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।** |
| 4/46 | **दीक्षान्त समारोह में प्रदर्शित होने वाले विश्वविद्यालय की संशोधित वृत्तचित्र (Documentary) के सम्बन्ध में।** |

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षान्त समारोह में प्रदर्शित होने वाले विश्वविद्यालय की संशोधित वृत्तचित्र (Documentary) को समारोह में प्रदर्शित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में दिनांक 13 सितम्बर, 2024 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों/समारोह इत्यादि में दिखाये जाने वाले वृत्तचित्र में संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत डॉ0 विनोदनी कटियार, एसोसिएट प्रोफेसर, आई0टी0 को नामित किया गया।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय में समय–समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों/समारोह इत्यादि का समावेशन करते हुए विश्वविद्यालय के पूर्व वृत्तचित्र (Documentary) के सम्बन्ध में संशोधन करते हुए वृत्तचित्र के शब्दों में परिवर्तन किया गया है, उक्त परिवर्तित वृत्तचित्र (Documentary) को बैठक में उपस्थित समस्त मा0 सदस्यों को प्रोजेक्टर की सहायता से प्रदर्शित की गयी।

**निर्णयः मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षान्त समारोह में प्रदर्शित होने वाले विश्वविद्यालय की संशोधित वृत्तचित्र (Documentary) को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**5/46 विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षान्त समारोह के आयोजन तथा मुख्य अतिथि के आमंत्रण के सम्बन्ध में।**

मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में दिनाँक 13 सितम्बर, 2024 को 11वां दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय में प्रस्तावित 11वें दीक्षान्त समारोह में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के समस्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री का वितरण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त के दृष्टिगत आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

**निर्णयः मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में दिनाँक 13 सितम्बर, 2024 को आयोजित 11वें दीक्षान्त समारोह के सफलतापूर्वक संपादन हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए निम्नवत् निर्णय प्रदान किए गए जो निम्नवत् हैं:–**

1. **आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षान्त समारोह के आयोजन किये जाने पर अनुमति प्रदान किया गया।**
2. **विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षान्त समारोह हेतु विभिन्न स्तर की तैयारियों हेतु गठित की गई समितियों पर अनुमोदन किया गया।**
3. **विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षान्त समारोह के सफलतापूर्वक संपादन हेतु पूर्व की भाँति रू0 25.00 लाख का बजट अनुमन्य किया गया।**

**इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजभवन की संस्तुति के उपरान्त पद्मश्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को उक्त दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किए जाने हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**6/46 11वें दीक्षान्त समारोह में उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र एवं पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षान्त समारोह दिनाँक 13 सितम्बर, 2024 को आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 1615 (1578+37) उत्तीर्ण अर्ह/पात्र विद्यार्थियों को उपाधि (डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं पीएच.डी. सहित) तथा कुल 159 पदक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। पदकों का विवरण निम्नवत् है :–

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | स्वर्ण पदक | 59 |
| 2. | रजत पदक | 50 |
| 3. | कांस्य पदक | 50 |
| **कुल पदक** | | **159** |

**निर्णयः मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 11वें दीक्षांत समारोह में सम्यक विचारोपरान्त कुल 1615 उत्तीर्ण अर्ह/पात्र विद्यार्थियों को उपाधि (डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं पीएच. डी. सहित) तथा कुल 159 पदक प्रदान किए हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

| | |
|---|---|
| 7/46 | **विश्वविद्यालय के शैक्षिक सवंर्ग में भर्ती किये जाने हेतु Selection Committee Pannel का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।** |

मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षिक सवंर्ग में भर्ती किये जाने हेतु Selection Committee Pannel का गठन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए मा0 कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के सृजित पदों पर भर्ती किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–25 (1) में चयन समिति के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है–

25– (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद से सिफारिश करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी।

(2) क– चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(एक) कुलपति, जो समूह–'क' और समूह–'ख' के सभी अध्यापन के पदों एवं गैर अध्यापन पदों के लिए चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलसचिव, समूह–'ग' और समूह–'घ' के सभी गैर अध्यापन पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा।

(तीन) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद जिसके लिए चयन किया जाना हो के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो।

(चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञः

परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से सम्बन्धित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो, तो कुलसचिव समय–समय पर यथा संशोधित समूह 'ग' पद के लिए उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती नियमावली 2002 (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) के उपबन्धों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा।

इसके अतिरिक्त आहूत बैठक में मा0 सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–I–43620/2021/2020/65–3001(001)/1/2019, दिनांक 07.01.2021 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम् अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी) विनियम, 2018 को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में सृजित शिक्षकों के पदों पर लागू किये जाने की अनुमति प्रदान किया गया है।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

निर्णयः मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्ग में भर्ती किये जाने हेतु **Selection Committee Pannel** का गठन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 में विहित व्यवस्था एवं डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में प्राविधानित/विहित व्यवस्था के क्रम में निम्नानुसार चयन समिति का गठन किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. कुलपति, जो चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. विद्या परिषद द्वारा अनुशंसित तथा कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामित 03 विशेषज्ञ।
3. सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष, यदि कोई हो, जो उस पद से निम्न स्तर का न हो, जिसके लिए चयन किया जाना है।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/दिव्यांग वर्ग से सम्बन्धित एक शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं हो तो कुलपति द्वारा इन श्रेणियों में से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित किया जाएगा।

**नोट :– दो वाह्य विशेषज्ञों सहित चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।**

**इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकों के प्रोन्नति (Promotion) एवं सीधी भर्ती पर नियुक्ति (Appointment) के लिए मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुशंसित वाह्य विशेषज्ञों के नामों के पैनल को मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा विश्वविद्यालय के कुलपति को नामों के पैनल में आवश्यकतानुसार संशोधन करने हेतु भी अधिकृत किया गया।**

**8/46** **विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन किये जाने के सम्बन्ध में।**

मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए मा0 परिषद में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विज्ञापन संख्या–55, 56, 57 एवं 58 के द्वारा आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, जिसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन–पत्रों की छंटाई करते हुए उनका प्रथम चरण में स्क्रूटिनी एवं स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु एक समिति गठित किया जाना है ताकि स्क्रूटिनी एवं स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण किया जा सके।

**निर्णयः– उक्त के परिपेक्ष्य में आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति (Promotion) एवं सीधी भर्ती पर नियुक्ति (Appointment) के लिए प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 परिषद द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए निम्नवत् समिति के गठन का निर्णय लिया गयाः–**

| क्र.स. | विवरण | पदगत दायित्व |
|---|---|---|
| 1 | सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता/ मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य। | अध्यक्ष |
| 2 | आचार्य स्तर के वाह्य विशेषज्ञ (मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित ) | वाहय विशेषज्ञ |
| 3 | विभागाध्यक्ष। (यदि विभागाध्यक्ष आचार्य नहीं है, तो मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर का वाह्य विशेषज्ञ) | सदस्य |

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

| 9/46 | **विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्राप्त आवेदन की स्क्रीनिंग करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।** |
|---|---|

मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्राप्त आवेदन की स्क्रीनिंग करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति के सन्दर्भ में विभिन्न बिन्दुओं पर मा0 कार्य परिषद की 37वीं बैठक में बिन्दु 5/37 में अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसमें निम्न संशोधन/परिमार्जन किये जाने पर विचार किया जाना है जो निम्नवत् हैः–

| क्र.सं. | मा0 कार्य परिषद की 37वीं बैठक में बिन्दु संख्या–5/37 में अनुमोदित विवरण | संशोधन सहित प्रस्तावित विवरण |
|---|---|---|
| 6 | यदि किसी विषय/विभाग हेतु विज्ञापित प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पद हेतु किसी भी श्रेणी में एक पद के सापेक्ष 03 से कम आवेदन प्राप्त हुए हों तो भी उन आवेदन–पत्रों को स्क्रीनिंग हेतु स्क्रूटिनी/स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत न किया जाय तथा उन पदों को भविष्य में पुनर्विज्ञापित किया जायेगा। | **यदि किसी विषय/विभाग हेतु विज्ञापित आचार्य एवं सह आचार्य के पद हेतु किसी भी श्रेणी में एक पद के सापेक्ष 01 ही आवेदन प्राप्त हुए हों तो भी उस आवेदन–पत्र को स्क्रीनिंग हेतु स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।** |
| 7 | आचार्य एवं सह आचार्य– यदि किसी विषय/विभाग में किसी श्रेणी में एक पद के सापेक्ष 03 अथवा अधिक आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हों और संवीक्षा समिति की स्क्रूटिनी के पश्चात् पात्र आवेदकों की संख्या 03 से कम रह जाती है तो उनमें चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित न किया जाय तथा उन पदों को भविष्य में पुनर्विज्ञापित कराया जायेगा। | **आचार्य एवं सह आचार्य– यदि किसी विषय/विभाग में किसी श्रेणी में एक पद पर 01 आवेदन ही प्राप्त हुए हों और स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग समिति की आख्या के पश्चात् पात्र आवेदक की संख्या 01 होने पर भी चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जाए।** |
| 8 | सहायक आचार्य–यदि किसी विषय/विभाग में किसी श्रेणी में एक पद के सापेक्ष 03 अथवा अधिक आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं और संविक्षा समिति की स्क्रूटिनी के पश्चात् पात्र आवेदकों की संख्या 03 से कम रह जाती है उनमें चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन न किया जाय तथा उन पदों को भविष्य में पुनर्विज्ञापित कराया जायेगा। | **किसी भी प्रकार का संशोधन प्रस्तावित नहीं है।** |

उपरोक्त के अतिरिक्त आहूत बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयें में शिक्षकों और अन्य शैक्षिणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियन, 2018 के अन्तर्गत सीधी भर्ती से सम्बन्धित विनियमों में उल्लिखित उपबंधों को विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्वचन के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु संख्या 4 व 5 पर पुर्नप्रस्ताव पर विचार किया जाना है–

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

| क्र.सं. | मा0 कार्य परिषद की 37वीं बैठक में बिन्दु संख्या–5/37 में अनुमोदित विवरण | संशोधन सहित प्रस्तावित विवरण |
|---|---|---|
| 4 | विनियम 4.0 के उपंबध 4.1 में उल्लिखित सम्बन्धित/सम्बद्ध/संगत विषय का निर्धारण किये जाने हतु इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन में प्रकाशित सूची को मान्यता दी जायेगी। जिन विषयों का उल्लेख उपरोक्त सूची में नहीं है वहां संवीक्षा समिति के सदस्य अपने विवेक से सम्बन्धित विषयक का निर्धारण करेंगे लेकिन परास्नातक विषय हेतु उसका पाठ्यक्रम कम से कम 75 प्रतिशत आवेदित विषय से संगत हो। | विनियम 4.0 के उपंबध 4.1 में उल्लिखित सम्बन्धित/सम्बद्ध/संगत विषय का निर्धारण डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गयी सूची के अनुसार होगा। जिन विषयों का उल्लेख उपरोक्त सूची में नहीं है वहां स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग समिति के सदस्य अपने विवेक से तार्किक आधार पर सम्बन्धित विषय का निर्धारण करेगें। |
| 5 | उपबंध 4.1 (II) (i) में सह आचार्य की अर्हता के अन्तर्गत 'बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड' को उल्लेख है, जबकि बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड (Good Academic Record) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 में परिभाषित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदोश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2020–21, दिनांक 24.11.2020 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 1129/सत्तर–1–2013–15(14)/टी0सी0, दिनांक 04.12. 2013 में बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड (Good Academic Record) को निम्नांकित रूप में परिभाषित किया गया है।<br>''Good Academic record (a minimum second division marks in relevant Bachelor's Degree) with a master's degree with marks (or and equivalent grade in a point scale wherever grading system is allowed) in a concerned/relevant/allied subject from and Indian University''<br>अतः एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में द्वितीय श्रेणी एवं परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में 55 प्रतिशत अंकों को बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड माना जाना प्रस्तावित है। आरक्षित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की शिथिलता नियमानुसार लागू होगी। इसके अतिरिक्त उपबन्ध 4.1 (II) क (i) में उल्लिखित सह आचार्य पद हेतु अन्य अर्हताएं यथावत रहेंगी। | उपबंध 4.1 (II) (i) में सह आचार्य की अर्हता के अन्तर्गत 'बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड' के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के धारा–3.4 में विहित प्रावधान स्वीकार किया जायेगा। |

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

| | |
|---|---|
| | **निर्णयः**–मा0 परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार शैक्षिक संवर्ग के पदों पर भर्ती की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किये गये परिमार्जित/संशोधित बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किये गये साथ ही मा0 कार्य परिषद की 37वीं बैठक में बिन्दु संख्या–5/37 में अनुमोदित विवरण विनियम 4.0 के उपबंध 4.1 में उल्लिखित सम्बन्धित/सम्बद्ध/संगत विषय का निर्धारण किये जाने हेतु विनियम 4.0 के उपबन्ध में 4.1 में उल्लिखित/सम्बन्धित/सम्बद्ध/संगत विषय का निर्धारण डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई सूची द्वारा होगा, जिसे आगामी मा0 कार्य परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। |
| 10/46 | **मा0 विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2024, मा0 विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2024 एवं मा0 विद्या परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2024 में लिए गये निर्णयों पर विचार।** |
| | **निर्णयः** आहूत बैठक में मा0 सदस्यों द्वारा मा0 विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2024, मा0 विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2024 एवं मा0 विद्या परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2024 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।<br>इसके साथ ही मा0 विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 11 सितम्बर, 2024 में लिए गये निर्णयों पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 11/46 | **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।** |
| (01) | **शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु पदों के सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग किये जाने के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः** मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु पूर्व में मा0 कार्य परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 23.06.2021 के बिन्दु सं0–3/33 एवं मा0 कार्य परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 02.09.2021 के बिन्दु सं0–4/34 में राज्यपाल सचिवालय द्वारा समय–समय पर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों पर अनुमोदन प्रदान किया गया हैं। मा0 परिषद द्वारा उक्त राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देश में प्रदत्त व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। |
| **किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।** | |

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।